कार्यालय कलेक्टर जिला–दमोह (म0प्र0)

(जबलपुर नाका, जिला–दमोह)

ईमेल – dmdamoh@mp.nic.in Contact- 07812 222345

पत्र क्र.6112 / एनआरएलएम / स्था. / 2025 दमोह, दिनांक : 22/10/2025

आदेश

----00----

कार्यालय कलेक्टर, जिला–दमोह ज्ञापन क्र. क / स्था.लि / 2025 / 58 / 3671 दमोह, दिनांक–15.10.2025 को प्राप्त हुआ जिसमें उल्लेख किया गया कि श्री नजीब अहमद खान, जनपद पंचायत पटेरा एवं श्री संदीप सिंह गौतम, प्रभारी विकासखंड प्रबंधक–एसआरएलएम हटा द्वारा निम्नलिखित अनियमिताएं की गई–

1/–विकासखण्ड पटेरा में पदस्थ श्री नजीब अहमद खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहास में गठित केजीएन स्व. सहायता समूह के खाते से अनाधिकृत रूप दिनांक 01.07.2021 को राशि 20,00,000–00 (शब्दो में बीस लाख रुपये मात्र) अपनी पत्नि शायका खान के व्यक्तिगत बैंक खाते में अंतरण कर दिये गये है। प्रमाण स्वरूप बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति संलग्न है।

2/–प्रभारी विकासखंड प्रबंधक श्री संदीप सिंह के सहयोग से हटा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम रनेह में गठित चार समूहों (पारस, कंगना, संत, जय माँ काली) का बैंक लिंकेज कराया गया फिर प्रति समूह पाँच लाख रुपये कुल बीस लाख रुपये केजीएन स्व सहायता समूह के बैंक खाते में अंतरण कर दिये गये है। प्रमाण स्वरूप बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति संलग्न है। उक्त के साथ लेख किया गया कि दोनों कृत्य प्रथदृष्टया ही अत्यंत गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं।

पत्र प्राप्ति के पश्चात् तत्काल उक्त बिंदुओं की जांच हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दमोह के द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र 5983 / जि.पं. / स्था. / 2025–26 दमोह, दिनांक–16.10.2025 को आदेश जारी कर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई जिसमें श्री प्रभुशंकर पाण्डेय, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव–जिला परियोजना प्रबंधक, एसआरएलएम दमोह एवं श्री जितेन्द्र नेमा, जिला प्रबंधक–वित्त एसंआरएलएम दमोह को बिंदु क्र. 1 एवं 2 की जांच कर 24 घंटे के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के पालन में समिति द्वारा विस्तृत जांच प्रतिवेदन विस्तृत अभिलेख एवं बैंक स्टेटमें सहित दिनांक–17.10.2025 को प्रस्तुत किए गए। जांच प्रतिवेदन में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए–

22/10/25

1. जिला पंचायत दमोह के पत्र क्र. 5985 / जि.पं. / 2025 दमोह, दिनांक–16.10.2025 के माध्यम से शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक से विकासखंड हटा के ग्राम रनेह में गठित पारस, संत, जय मां कलेही एवं कंगना स्व सहायता समूहों के लोन एवं बचत खातों के बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किए गए। प्राप्त स्टेटमेंट्स का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि–
   - **अ)** दिनांक–29.06.2021 को विकासखंड–हटा के ग्राम–रनेह में गठित पारस, संत, जय मां कलेही एवं कंगना स्व सहायता समूहों के लोन खातों से **NEFT** के माध्यम से 5–5 लाख रुपये की राशि विकासखंड–पटेरा अंतर्गत ग्राम–मोहास में गठित केजीएन स्व सहायता समूह के बचत खाता क्र. 39726923186 में कुल राशि **रुपये 2000000–00 (बीस लाख रुपये)** हस्तांतरित की गई। (समूहों के बैंक स्टेटमेंट संलग्न, पृष्ठ क्र. 01 से 21 तक)
   - **ब)** बैंक से प्राप्त लेन–देन बाउचर / **NEFT Form** के निरीक्षण उपरांत उपरोक्त चारों स्व सहायता समूहों द्वारा 5–5 लाख रुपये की राशि कुल राशि **रुपये 2000000–00 (बीस लाख रुपये)** विकासखंड पटेरा अंतर्गत ग्राम मोहास में गठित केजीएन स्व सहायता समूह के बचत खाता

क्र. 39726923186 में हस्तांतरित की गई जिसमें केवल संबंधित समूहों के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर पाए गए। किसी प्रकार के बैठक प्रस्ताव आदि नहीं प्राप्त हुए। (समूहों के बैंक बाउचर संलग्न, पृष्ठ क्र. 22 से 37 तक)

स) पारस स्व सहायता समूह से अध्यक्ष श्रीमती पूनम एवं सचिव रश्मि, संत स्व सहायता समूह से अध्यक्ष श्रीमती माया नामदेव एवं सचिव श्रीमती प्रभा, जय मां कलेही स्व सहायता समूह से अध्यक्ष श्रीमती उषा एवं सचिव श्रीमती रानी तथा कंगना स्व सहायता समूह से अध्यक्ष श्रीमती अनीशा बेगम एवं सचिव श्रीमती शहनाज बी के हस्ताक्षर किए हुए लेन–देन बाउचर/NEFT form/राशि प्रेषण के नियम एवं शर्तों से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए।

द) दस्तावेजों पर ग्राम प्रभारी अथवा प्रभारी विकासखंड प्रबंधक के हस्ताक्षर नहीं पाए गए जबकि समूह या समूहों से संबंधित संस्थाओं के खातों से राशि अंतरण के पूर्व समूह के बैठक प्रस्ताव/बैठक कार्यवाही विवरण पर प्रभारी विकासखंड प्रबंधक/ग्राम प्रभारी के हस्ताक्षर संबंधित अभिलेख बैंक में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा बैंक अधिकारी द्वारा उक्त समस्त दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत राशि का अंतरण/आहरण किया जाता है, जो नहीं किया गया।

2. जिला पंचायत दमोह के पत्र क्र. 5986/जि.पं./2025 दमोह, दिनांक–16.10.2025 के माध्यम से शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक से विकासखंड पटेरा के ग्राम मोहास में गठित केजीएन स्व सहायता समूह एवं श्रीमती शायका खान के बचत खातों के बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किए गए। प्राप्त स्टेटमेंट्स का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि–

अ) दिनांक–29.06.2021 को विकासखंड हटा के ग्राम रनेह में गठित पारस, संत, जय मां कलेही एवं कंगना स्व सहायता समूहों के लोन खातों से NEFT के माध्यम से 5–5 लाख रुपये की राशि विकासखंड पटेरा अंतर्गत ग्राम मोहास में गठित केजीएन स्व सहायता समूह के बचत खाता क्र. 39726923186 में प्राप्त हुई। (केजीएन समूह का बैंक स्टेटमेंट संलग्न, पृष्ठ क्र. 38 से 43 तक)

ब) दिनांक–30.06.2021 को केजीएन स्व सहायता समूह के बचत खाता क्र. 39726923186 से राशि रुपये राशि **रुपये 2000000–00 (बीस लाख रुपये)** नया सवेरा संकुल स्तरीय संगठन खाता क्र.–594702010015438 यूनियन बैंक नोहटा में हस्तांतरित करने की कोशिश की गई जो असफल रही। (समूह के बैंक बाउचर संलग्न, पृष्ठ क्र. 44 से 45 तक)

22/10/25

स) दिनांक–01.07.2021 को केजीएन स्व सहायता समूह के बचत खाता क्र. 39726923186 से राशि **रुपये 2000000–00 (बीस लाख रुपये) श्रीमती शायका खान के बचत खाता क्र. 39102024858 में राशि अंतरित किया जाना पाया गया।**(बैंक वाउचर संलग्न, पृष्ठ क्र. 46 से 48 तक)

द) श्रीमती शायका खान के बचत खाता क्र. 39102024858 का निरीक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक–01.07.2021 श्रीमती शायका खान के खाते में राशि **रुपये 2000000–00 (बीस लाख रुपये)** केजीएन स्व सहायता समूह के बचत खाता क्र. 39726923186 में ट्रांस्फर होना पाया गया है। (शायका खान का बैंक स्टेटमेंट संलग्न)

इ) श्रीमती शायका खान के बचत खाता क्र. 39102024858 से दिनांक–01.07.2021 को राशि **रुपये 2000035.40** अज्ञात खाते में हस्तांतरित किया जाना पाया गया।

कार्यालय कलेक्टर जिला–दमोह (म0प्र0)

(जबलपुर नाका, जिला–दमोह)

ईमेल – dmdamoh@mp.nic.in Contact- 07812 222345

नोट– उपरोक्त स्व सहायता समूहों के बैंक खातों में कई अन्य संदेहास्प्रद ट्रांजेक्शन पाए गए हैं, जो स्व सहायता समूह गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं।

जांच समिति का अभिमत एवं निष्कर्ष– उपरोक्त प्रकरण में दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत समिति का निष्कर्ष यह है कि स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों की आजीविका संवर्धन हेतु शासन की योजनाओं एवं बैंक ऋण के माध्यम से राशि प्रदाय की जाती है, जिससे स्वरोजगार स्थापित कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकें। स्व सहायता समूहों को प्रदाय की जाने वाली राशि स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों के द्वारा विभिन्न आय जनित गतिविधियों के उपयोग हेतु प्रदाय की जाती है। समूह के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति/संस्था के उपयोग हेतु राशि का अंतरण किया जाना उचित नहीं है।

विकासखंड हटा के उक्त सभी 4 समूहों के खातों से राशि हस्तांतरण के संबंध में समूह बैठक कार्यवाही विवरण/प्रस्ताव बैंक में जमा नहीं किया जाना नियम विरूद्ध है। समूह की राशि के हस्तांतरण के संबंध में समूह सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लेते हैं जिसका उल्लेख समूह के बैठक प्रस्ताव में किया जाता है। बैंक से राशि आहरण के दौरान समूह द्वारा लिए गए निर्णय का बैठक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है जो कि नहीं किया गया। उपरोक्त किसी भी ट्रांजेक्शन में बैंक के पास समूह का बैठक प्रस्ताव नहीं पाया गया। इससे विकासखंड प्रबंधक श्री संदीप सिंह गौतम द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वाहन ईमानदारी पूर्वक नहीं किया गया।

विकासखंड हटा अंतर्गत गठित समूहों के खातों से दूसरे विकासखंड पटेरा अंतर्गत गठित समूह के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाना अव्यवहारिक है, जो कि बगैर किसी आदेश या स्वीकृति के दूसरे कार्यक्षेत्र के अन्य समूह के खाते में राशि हस्तातरित किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। विकासखंड पटेरा अंतर्गत केजीएन समूह के खाते से श्रीमती शायका खान पति श्री नजीब अहमद खान (प्रभारी विकासखंड प्रबंधक–एसआरएलएम पटेरा) के व्यक्तिगत खाते में राशि हस्तांतरित होना नियम विरूद्ध है।

समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की रनेह शाखा से पारस, संत, जय मां काली एवं कंगना स्व सहायता समूहों के लोन एवं बचत खातों में राशि आहरण/वितरण संबंधी विवरण लिया गया जिसमें दिनांक–29.06.2021 को उक्त समूहों के लोन खातों से राशि 5–5 लाख रुपये की राशि विकासखंड पटेरा अंतर्गत ग्राम मोहास में गठित केजीएन स्व सहायता समूह के एसबीआई बचत खाता क्र.39726923186 में कुल राशि 20 लाख रुपये हस्तांतरित की गई जिसमें समूह के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर होना पाए गए एवं समूह की बैठक कार्यवाही अभिलेख के बिना ही राशि का अंतरण होना पाया गया है। जबकि उक्त राशि 4 स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज के माध्यम से विभिन्न व्यवसायिक गतिविधि प्रारंभ करने हेतु उपलब्ध कराई गई थी जो कि चारों समूहों की राशि नियम विरूद्ध कार्यक्षेत्र के बाहर हस्तांतरित किए जाने के कारण उद्देश्य की पूर्ति होना नहीं पाया गया।

श्री संदीप सिंह गौतम, प्रभारी विकासखंड प्रबंधक (संविदा)–एसआरएलएम हटा को शासन स्तर से सदस्य सहयोग दल (समूह प्रेरक) के रूप में नियुक्त किया गया। जनपद स्तर पर आजीविका मिशन योजना के विभिन्न घटकों को पूरा कराना एवं स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरक के रूप में कार्य करना जिसमें आजीविका मिशन के विकासखंड स्तर के समस्त कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं इसकी निगरानी करना है जो कि श्री संदीप सिंह गौतम द्वारा नहीं किया जाना पाया गया जिससे पारस, संत, जय मां काली एवं कंगना स्व सहायता समूहों

कार्यालय कलेक्टर जिला–दमोह (म0प्र0)

(जबलपुर नाका, जिला–दमोह)

ईमेल – dmdamoh@mp.nic.in Contact- 07812 222345

के लोन एवं बचत खातों से 20 लाख रुपये की राशि का गबन होना जैसी अनियमितताएं पाई गईं जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही है।

म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 1108/22/वि–2/स्था/2019 भोपाल, दिनांक–24.02.2020 की कंडिका क्र.–7.2 के बिंदु 6 में निहित प्रावधान के तहत (प्रशासनिक अथवा वित्तीय अनियमितता, कर्तव्य निर्वाहन में घोर लापरवाही अथवा कदाचरण के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित संविदा अधिकारी/कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकेगी) एवं "आपके प्रथम अनुबंध क्रमांक:6006/म.प्र.रा.आ.फो./स्थापना/2015 भोपाल, दिनांक–01.09.2015 की कंडिका क्र.–18 (कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्त प्राधिकारी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा) के तहत **श्री संदीप सिंह गौतम, प्रभारी विकासखंड प्रबंधक(संविदा)–एसआरएलएम हटा की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।**

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

22/10/25

कलेक्टर

जिला–दमोह (म.प्र.)

पृ. क्र. 6113 **/एनआरएलएम/स्था./2025** **दमोह, दिनांक :** 22/10/2025

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.डे–राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कमिश्नर महोदय, सागर संभाग–साग की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–दमोह की ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग हटा की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत हटा/पटेरा की ओर सूचनार्थ।
6. जिला परियोजना प्रबंधक–एसआरएलएम दमोह की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित श्री संदीप सिंह गौतम एसआरएलएम हटा की ओर सूचनार्थ।

22/10/25

कलेक्टर

जिला–दमोह (म.प्र.)